

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 187/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. प्रेमचन्द पुत्र दूदाराम उम्र 60 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम करणीपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर हाल निवासी निवारू लिंक रोड 12 बालाजी विहार गोविन्दपुरा, जयपुर।

—वाददी

ब न म

1. राज्य सरकार जरिये— तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादी

### दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति—

1. श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानिया, वकील वादी ओर सैं।

निर्णय


दिनांक — 04-02-2020

- 1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम करणीपुरा पटवार हल्का कुली भू.अ.नि. क्षेत्र करड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.) की तन में अवस्थित वादी एवं अन्य सह—खातेदार संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल ख.नं. 130, 130/273, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149/286, 150/283, 151, 152, 153, 155/282, 94, 95, 96 कुल किता 26 कुल रकबा 18.97 है0 में से 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है जो संलग्न वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से पूर्णतया प्रमाणित है। वादाधीन कृषि आराजियात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पेमाराम पुत्र दूदाराम दर्ज है जबकि वादी के समस्त लोक दस्तातेजात (आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक पास बुक आदि) में वादी का नाम प्रेमचन्द पुत्र दूदाराम दर्ज है तथा इसी अनुरूप ही राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु वादाधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पेमाराम पुत्र दूदाराम दर्ज है जिस वजह से वादी राज्य

  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ


सरकार से मिलने वाले लाभ एवं कम ब्याज पर काश्त के लिए बैंक से प्राप्त होने वाले किसान कार्ड के रूप में कृषि ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आती है तथा न ही वादी अपने हक हिस्से की भूमियों में फसल खराब होने से राज्य सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि प्राप्त कर पाता है इसलिए वादी वादाधीन भूमि में अपना नाम अपने लोक दस्तावेज के अनुसार एकरूपता के लिए प्रेमचन्द पुत्र दूदाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी से वादाधीन भूमि में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में प्रेमचन्द पुत्र दूदाराम दर्ज किये जाने का कई बार निवेदन कर चुका है किन्तु प्रतिवादी द्वारा नाम संशोधन नहीं किये जाने पर वादी को माननीय न्यायालय में वाद संस्थित कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पेमाराम पुत्र दूदाराम के स्थान पर प्रेमचन्द पुत्र दूदाराम उदघोषित करवाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधित करवाया जाना आवश्यक हो जाने से वाद बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड संशोधन का संस्थित करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण वादी द्वारा वादाधीन भूमियां में पेमाराम पुत्र दूदाराम के स्थान पर अपना वास्तविक एवं लोक दस्तावेज के अनुसार सही नाम प्रेमचन्द पुत्र दूदाराम दर्ज करने का प्रतिवादी से आग्रह करने पर प्रतिवादी द्वारा नाम संशोधित करने से मना करने के कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण-प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद वर्णित कृषि आराजियात में दर्ज वादी का नाम पेमाराम पुत्र दूदाराम के स्थान प्रेमचन्द पुत्र दूदाराम उदघोषित किया जावे तथा तदनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाकर राजस्व रिकार्ड संशोधन किया जावे।

- 2 वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सहखातेदार भंवरलाल पुत्र पुराराम के बयानात लिये गये। सहखातेदार ने वादी के नाम में वांछित संशोधन हेतु अनापत्ति जाहिर की। वादपत्र पर वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। सहखातेदार के बयानात का अवलोकन किया गया। चूंकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी तथा अन्य दस्तावेजों में एकरूप नहीं है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों,

  
उपखण्ड अधिकारी, दांताराम

सहखातेदार के बयानात आदि के आधार पर वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम ग्राम करणीपुरा पटवार हल्का कुली तहसील दांतारामगढ जिला की भूमि खसरा नम्बर 130, 130/273, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149/286, 150/283, 151, 152, 153, 155/282, 94, 95, 96 कुल किता 26 कुल रकबा 18.97 हैक्टर में वादी का नाम पेमाराम पुत्र दूदाराम के स्थान प्रेमचन्द पुत्र दूदाराम उदघोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। डिक्री जारी हो। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अशोक कुमार)

उपस्थित अधिकारी, दांतारामगढ

# अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्दा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रेमचन्द

बनाम

राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं० 187/दावा सन् 2019

निर्णय दिनांक 04.02.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियां मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम करणीपुरा पटवार हल्का कुली तहसील दांतारामगढ जिला की भूमि खसरा नम्बर 130, 130/273, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149/286, 150/283, 151, 152, 153, 155/282, 94, 95, 96 कुल किता 26 कुल रकबा 18.97 हैक्टर में वादी का नाम पेमाराम पुत्र दूदाराम के स्थान प्रेमचन्द पुत्र दूदाराम उदघोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।


उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.02.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दाई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा .....	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी .....		
स्टाम्प वजह सबूत .....	-	-	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील .....	-	-	खर्चा गवाहान .....		
खर्चा गवाहान .....	-	-	फीस कमिश्नर .....		
फीस कमिश्नर .....	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा .....		
बाबत इजराय हुक्मनामा ....	-	-	मुतफरिक् .....	0	00
मुतफरिक् .....	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)  
 उपखण्ड अधिकारी, दस्तांरामगढ़